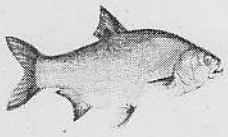

बिहार सरकार

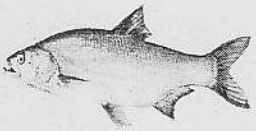

पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग

प्रगतिशील मत्स्य कृषक/मछुआरा भाई मत्स्य प्रशिक्षण के लिए ध्यान दें।

राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालकों/मछुआरों के लिए " **मत्स्य प्रशिक्षण की योजना** " निःशुल्क चलायी जा रही है। प्रशिक्षण निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों में दिया जा रहा है :–

i. केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुँम्बई के उपकेन्द्र, काकीनाडा, ऑध्राप्रदेश
ii. केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साल्टलेक, कोलकाता
iii. केन्द्रीय अर्न्तस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, कोलकाता
iv. केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के पावरखेड़ा, मध्य प्रदेश
v. कॉलेज ऑफ फिशरीज, पंतनगर, उत्तराखंड
vi. केन्द्रीय मीठाजल जीवपालन अनुसंधान संस्थान, कोशल्यागंगा, भूवनेश्वर, उड़ीसा
vii. मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना
viii. दीपनारायण सिंह सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना
ix. आई0सी0ए0आर0, पटना केन्द्र, पटना
x. कॉलेज ऑफ फिशरीज, ढ़ोली, मुजफ्फरपुर

प्रशिक्षण में प्रशिक्षाणार्थी के जिला मुख्यालय से प्रशिक्षण संस्थान तक आने–जाने हेतु यात्रा खर्च सरकार वहन करेगी। राज्य से बाहर प्रशिक्षण हेतु निर्धारित मार्ग व्यय भी अलग से भुगतेय है। काकीनाडा बैच के प्रशिक्षणार्थीयों से निबंधन हेतु मात्र ₹250 एवं अन्य प्रशिक्षणार्थी से ₹100 प्रशिक्षण शुल्क जमा करना है।

प्रशिक्षणार्थियों का चयन :–

चयन हेतु निम्न पात्रता होगी–

(क) मत्स्य पालक जो निजी/पटटा पर अथवा सरकारी तालाब/जलकर में मत्स्य पालन कार्य कर रहे हो,
(ख) मत्स्य पालन करना चाहते हो तथा बैंक ऋण/स्वलागत से तालाब निर्माण/हैचरी/फिस फिड मिल के अधिष्ठापन आदि हेतु आवेदन समर्पित किया गया हो,
(ग) प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सकिय सदस्य हों।

निःशुल्क प्रशिक्षण योजना का लाभ उठाकर मछली उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि एवं आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते है।

इच्छुक मत्स्य कृषक/मछुआरा भाई अपना आवेदन अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करें। आवेदन पत्र में अपना मोबाईल नम्बर का उल्लेख अवश्य करें। इस योजना की विस्तृत जानकारी राज्यादेश संख्या 1701 दिनांक 24.05..2018 से प्राप्त की जा सकती है जो विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in पर प्रदर्शित है।

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग
मत्स्य बीज उत्पादकों एवं मत्स्य पालकों के लिए विशेष योजना

राज्य सरकार ने मत्स्य पालकों के लिए मत्स्य अंगुलिकाएँ अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने की एक विशेष योजना तैयार की है। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू है।

मत्स्य बीज उत्पादन की योजना :–

मत्स्य बीज उत्पादक कम से कम 10–15 ग्रम तक के अंगूलिकाओं का अपने नर्सरियों में रियर (rear) करेंगे। प्रत्येक मत्स्य बीज उत्पादक को अधिकतम एक हेक्टेयर जलक्षेत्र में ही मत्स्य अंगुलिकाओं के उत्पादन हेतु चयन किया जाएगा। मत्स्य बीज उत्पादक एक हेक्टेयर जलक्षेत्र से अधिकतम 1.25 लाख मत्स्य अंगुलिकाएँ (10 से 15 ग्राम वजन का) ही अपने नर्सरी/रियरिंग तालाब से उत्पादन एवं वितरण करेंगे। जिला मत्स्य पदाधिकरी द्वारा मांग पत्र इसी आधार पर निर्गत होगा। तत्पश्चात ही मत्स्य पालकों को जिला मत्स्य पदाधिकारी के निदेश पर अंगुलिका बेचेंगे। एक अंगुलिका का मूल्य 2.50 रू0 निर्धारित है जिसका 50 प्रतिशत अनुदान अनुमान्य होगा।

मत्स्य बीज उत्पादकों के चयन हेतु आवश्यक अहर्ता :–

- यह योजना केवल तालाब में अंगुलिकाओं के संचयन के लिए ही है।
- मत्स्यबीज उत्पादक अपने आवेदन के साथ अपने नर्सरी स्पेस का भूमिस्वामित्व प्रमाण पत्र/पट्टा संलग्न करेंगे।
- ऐसे मत्स्यबीज उत्पादक जिन्होंने मत्स्य प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उन्हे चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
- हैचरी ऑनर भी इस योजना में मत्स्यबीज उत्पादक के रूप में आवेदन कर कर सकते है।
- बीज उत्पादकों के साथ विहित प्रपत्र में एकरारनामा करना होगा।

मत्स्य बीज उत्पादकों के द्वारा मत्स्य अंगुलिकाओं का उत्पादन के पश्चात सर्वप्रथम अंगुलिकाओं को उन मत्स्य पालकों को उपलब्ध करना होगा जिनको जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा चिन्हित किया गया है। जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा ससमय मत्स्य पालकों की सूची उपलब्ध नहीं कराने पर बीज उत्पादक अंगुलिकाओं का विक्रय अपने स्तर से बाजार में करने के लिए स्वतंत्र होंगे जिसके लिए अनुदान देय नहीं होगा।

मत्स्य पालकों को अनुदानित दर पर अंगुलिकाओं की उपलब्धता :–

मत्स्य बीज अंगुलिकाएँ प्राप्त करने के लिए इच्छुक मत्स्य पालक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण को मांग पत्र/आवेदन निर्धारित प्रपत्र में अपने तालाब का पट्टा/भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र को संलग्न कर जलक्षेत्र का उल्लेख करते हुए समर्पित करेंगे। करेंगे। एक मत्स्यपालक/मत्स्यजीवी सहयोग समिति के एक सदस्य को अधिकतम एक हेक्टयर (ग्रुप में अधिकतम दो हेक्टेयर में) जलक्षेत्र में अंगुलिकाओं को संचयन करने हेतु ही अनुदान की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रति हेक्टेयर 5000 अंगुलिका की दर से, उनके तालाब के जलक्षेत्र के आधार पर बीज की गणना की जाएगी। अभिकरण द्वारा एक पक्ष के अन्दर भौतिक जाँचोपरान्त अनुदान की राशि आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा मत्स्य पालक के खाते में भुगतान किया जाएगा।

अंगुलिकाओं के संचयन से मछली उत्पादन में गुणात्मक बढ़ोतरी होगी तथा आमदनी बढ़ेगी। विस्तृत विवरण मत्स्य पशु एवं मत्स्य संसाधन(मत्स्य) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या 1727 दिनांक 25.05.2018 के द्वारा निर्गत है जिसे विभागीय वेब साइट ***http:\\ahd.bih.nic.in*** पर देखा जा सकता है।

आवेदन का प्रपत्र

आवेदक का नाम :
पिता का नाम :
स्थायी पता :
संपर्क दूरभाष संख्या :
उपलब्ध जलक्षेत्र का खाता, खेसरा तथा रकबा (एकड़ में)
उपलब्ध जलक्षेत्र का लोकेशन :
प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र :

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त घोषणाएँ सही हैं तथा उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए निर्धारित शर्तों का मेरे द्वारा अनुपालन किया जाएगा।
अनुलग्नकः यथोक्त।

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक अपना आवेदन संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को विज्ञापन प्रकाशन के एक पक्ष के भीतर सुनिश्चित करेंगे।

विशेष जानकारी के लिए अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

मत्स्य निदेशक,
बिहार, पटना